

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ: दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आयोजित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मध्याह्न में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संघालित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

* समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी नवस्थापित निम्न डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं को ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, को सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संबंधित संस्थान सत्र 2019-20 हेतु ए०आई०सी०टी०ई० अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराये।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/सी०टी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4038	एच०एच०एम इन्स्टी० ऑफ पार्ली० एंड अकाउं० मैनेज्मेंट, बलिया	मैकेनिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग	60 60 60	60 60 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 तथा अन्य विनियम नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सारसन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनआदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कौशल निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु कौशल का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रीस की नवीनीकरण करें लागू होगी।

(Handwritten Signature)

- ✓ संस्था को (30000 प्रारंभिक शिक्षा समितियाँ तथा जप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आरई0सी0टी0ई0 से आगामी सात्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/निघन्ती/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रारंभिक शिक्षा, 30000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30000 तथा प्रारंभिक शिक्षा परिषद, 30000 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बंध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नहीं दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संघ में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रारंभिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाय दावर किया जाता है तथा दावर वाद के संघ में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था का करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आव्योजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्राप्त होने के पूर्व पी.सी.आई.0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आश्रय नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, सात्र-साप्ता, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैमिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के साथ उपलब्ध कराने गये अमिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निवमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सजीव कुमार सिंह)
सचिव

फुसं0- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2252

तद दिनांक 15-8-2019

प्रतिस्तिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, एस0एच0 बायू इंस्टी0 ऑफ फार्सी 310 अखोप, बेलथरा, बलिया।

(सजीव कुमार सिंह)
सचिव

**अध्यापक,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय ध्याम-

अंकित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कानपुर कागजित ऑफ इन्फिफा, नई दिल्ली द्वारा संकेतिक सत्र 2020-21 हेतु विप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने को संघर्षत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अख्य प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सन्धि द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश समया वृद्धि सहित अन्य नवीं पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को सत्र-2 में विप्लोमा इन इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प सत्र गया। सम्बद्धता समिति द्वारा नवन विचार-विमर्श कर निम्नान्त निर्णय लिया गया -

"गिजी शेर में स्थापित विप्लोमा इन इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाएँ जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में ए०आईसीटीआई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु पश्चात् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए०आईसीटीआई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के समुच्च अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश समया के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सन्धि द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए०आईसीटीआई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिखे गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नान्तित सत्रों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उक्तमें अंकित प्रवेश समया हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संस्था का कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईसीटीआई/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समया	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समया
1	4038	एल०एन० बंगू इन्स्टीट्यूट ऑफ एज्यूकेटि० एंड रिसर्च, 1880- ई०एच० रोड, बरियारा।	मिडिल इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट इन इन्जीनियरिंग एंड टेक्निकल इन्जीनियरिंग प्रोग्राम	60 60 60	60 60 60

सम्बद्धता हेतु सत्रों

- ✓ सत्र 2020-21 हेतु ए०आईसीटीआई/पीसीआईटीआई द्वारा निर्धारित की गयी सत्रों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ सत्र 2020-21 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेक्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कानूनी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कानूनी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में सत्र-2020 पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले कालावधि प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। नीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु नीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो नीस की नवीनतम दर लागू होगी।

(Handwritten Signature)


- ✓ संस्था को (उपरोक्त) प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध शिक्षा जलप) विनियमनकारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को डी प्रवेश दिया जायेगा। शर्तों के तहत वह अपने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन को निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निरीत शासनादेशों को अनुसरण निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को गुणवत्तासूचक/सीटीआई/सीटीआईआई से अपनाई जाए हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाया आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये शिक्षा/विद्यार्थी/अभियन्ता/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उपरोक्त, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उपरोक्त तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उपरोक्त द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने को तैय्य रहनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम को संस्था यदि पौरीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संस्था में समस्त उच्चतरदायित्व संस्था का होगा और प्रथम वर्ष को किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बंधन प्रदान किया जाता है तथा बंधन बंध के संस्था में भा. गणराज्य द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निरीत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित तालना को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयित प्रारंभ होने के पूर्व पौरीआईआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हीं प्रवेश की (कार्यालयित के माध्यम से अथवा संस्था स्वयं कर लीये प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निरीत नवीनतम आदेश, नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिकृति, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपरोक्त मातापुत्र उपलब्ध कराने के साथ दैनिक रोजने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो के कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को प्रत्यापन हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराने एवं अभिनेता, भूमि-धरम, कॉन्सिडर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम को संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विद्यमानुसार अनुमोदनकार्यक कार्यवाही की जायेगी।

(180) आनंदको सिंह
सचिव

पुं०-०- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1872-3141

तददिनांक: 15-09-2020

प्राथमिक-प्रशासनिक/निदेशक, एमएलएस ब्यू इन्स्टीट्यूट ऑफ पारोटीटिविक किलेज एण्ड वी-बसोप, उरु- बेलगांव रोड, बलिया।


(180) आनंदको सिंह
सचिव

